

प्ररूप-ड
(नियम 7(2) देखिये)
कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा०) तोकापाल जिला बस्तर छ०ग०
// अनुशंसा //

प्रति,

श्रीमती गीता विश्वास पति श्री विश्वजीत
निवासी धरमपुरा जगदलपुर
कृषि ग्राम डिमरापाल तहसील तोकापाल
जिला बस्तर छ०ग०

विषय :- रोपित वृक्ष की कटाई हेतु अनुशंसा।

—000—

विषयान्तर्गत आपके द्वारा इस न्यायालय के समक्ष ग्राम डिमरापाल तहसील तोकापाल स्थित भूमि ख०नं० ०१ रकबा ०.७०० हे० भूमि पर स्थित कुल ०४ नग सागौन वृक्ष के कटाई हेतु अनुमति बाबत आवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत आवेदन अनुसार राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर के अधिसूचना क्रमांक एफ-४-३४/सात-१/२०२१ अटल नगर दिनांक ११ फरवरी २०२२ को छ०ग० राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के तहत दिये गये निर्देशानुसार उक्त प्रकरण में राजस्व निरीक्षक केशलूर एवं वन विभाग के अधिकारी से संयुक्त जांच प्रतिवेदन आहूत किया गया।

राजस्व निरीक्षक एवं वन विभाग द्वारा दिनांक २३.१०.२०२४ को स्थल निरीक्षण कर प्रतिवेदन सह पंचनामा प्रस्तुत किया गया, जिसमें ग्राम डिमरापाल, प.ह.नं. ०९, रा.नि.मं. केशलूर तहसील तोकापाल जिला बस्तर स्थित भूमि ख०नं० १ रकबा ०.७० हे० भूमि पर स्थित कुल ०४ नग सागौन वृक्ष जो वर्तमान में सूख गये हैं, उक्त वृक्ष की कटाई करने हेतु अनुमति दिये जाने अनुशंसा किया गया है। प्रतिवेदन सह पंचनामा प्रकरण में संलग्न।

अभिलेख एवं स्थल निरीक्षण के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि ख०नं० ०१ रकबा ०.७० हे० ग्राम डिमरापाल, प०ह०नं० ०९, तहसील तोकापाल जिला बस्तर स्थित वृक्ष जिनका प्रजाति सागौन एवं संख्या ०४ है, को काटे जाने पर संहिता के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन नहीं हो रहा है। अतः वृक्ष कटाई के आवेदन पर अनुशंसा अभिव्यक्त की जाती है।

छत्तीसगढ़ वनउपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम १९९६ (क्रं. ९ सन् १९६९) एवं भारतीय वन अधिनियम, १९२७ (१९२७ का १६) के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन (वन उपज) नियम, २००१ का पालन नहीं किए जाने पर यह अनुशंसा शून्य होगी।

यह अनुशंसा आवेदन दिनांक से एक कलेण्डर वर्ष तक मान्य रहेगी।

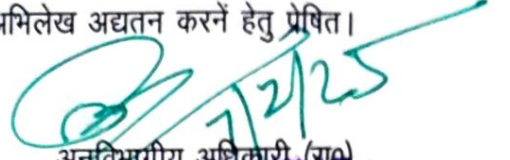


अनुविभागीय अधिकारी (रा०)
तोकापाल, जिला बस्तर (छ०ग०)
जिला - बस्तर (छ.ग.)

पृ०क्र० / 169 / अ०वि०अ०(रा०) / 2024-25
प्रतिलिपि,

तोकापाल दिनांक 06 / 02 / 2025

- 01 कलेक्टर जिला बस्तर, जगदलपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
- 02 वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल बस्तर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 03 तहसीलदार तोकापाल को वृक्ष कटाई पश्चात् राजस्व अभिलेख अद्यतन करने हेतु प्रेषित।


अनुविभागीय अधिकारी (रा०)
तोकापाल, जिला बस्तर (छ०ग०)
जिला - बस्तर (छ०ग०)